

सराहनीय कार्य:मीरजापुर पुलिस

दिनांक:30.03.2024

ड्रग माफिया की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में की गयी कुर्क-

जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर दिनांक 19.03.2024 के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक: 30.03.2024 को मीरजापुर पुलिस/प्रशासन द्वारा ड्रग माफिया (गैंग लीडर) महेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर निवासी विश्वकर्मा कालोनी महुवरिया थाना को0शहर जनपद मीरजापुर की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति (जमीन/मकान/दुकान/आर.ओ.प्लाट/वाहन आदि) अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में कुर्क की गयी ।

आपराधिक इतिहास- (अभियुक्त महेश सोनकर उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0- 799/2007 धारा 8/20 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।
2. मु0अ0सं0- 670/2008 धारा 8/20 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।
3. मु0अ0सं0- 76/2021 धारा 8/20 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।
4. मु0अ0सं0- 287/2022 धारा 8/21 NDPS Act. थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।
5. मु0अ0सं0- 441/2023 धारा 8/21 NDPS Act. थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।
6. मु0अ0सं0- 182/2023 धारा 8/21 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।
7. मु0अ0सं0- 198/2023 धारा 8/21 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।
8. मु0अ0सं0- 26/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।